रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PART I—Section 1

सं. 141] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 1994/भाद्र 24, 1916
No. 141] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 1994/BHADRA 24, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 239/(पी एन)/92—97

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1994

फा. सं. 9/2/93-ईपीसी :—निर्यात आयात नीति, 1992—97 के पैराग्राफ 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 1992—97 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

(1) अध्याय 8 में, पैराग्राफ 134 के उप पैरा में "डायमंड अग्रदाय लाइसेंस" शीर्षक सहित धारा (3) में उल्लिखित शर्त के बदले निम्नलिखित को रखा जाएगा :—

"यदि लाइसेंसधारी ने तीन वर्ष या इससे अधिक समय तक निर्यात कार्य किया है तो इसके मुंह उसे सभी आयातित खेपों की निकासी को क्रियान्वित कराने के लिए एक सामान्य एल.यू.टी. की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए खंडों में पृष्ठांकन आवश्यक नहीं है।"

(2) अध्याय 8 में, पैराग्राफ 152(8) के बदले निम्नलिखित को रखा जाएगा :—

"विदेश डाक घर के जरिए निर्यात के मामले में आभूषण पार्सलों का मूल्य 50,000 अमेरिकी डालर और वजन में 20 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होना चाहिए।"

(3) इसे लोकहित में जारी किया गया है।

डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 239/(PN)/92—97

New Delhi, the 15th September, 1994

File No. 9|2|93-EPC.—In exercise of the powers conferred under paragraph 16 of the Export & Import Policy, 1992—97, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures, 1992—97 :—

(1) In Chapter VIII, in paragraph 134, in sub-paragraph with the heading "Diamond Imprest Licence :" condition in clause (iii) shall be substituted by the following :—

"One general LUT may be permitted to be executed for clearance of all consignments imported against a licence if the licensee has export performance of three years or more. Piecemeal endorsement is not necessary."

(2) In Chapter VIII, paragraph 152(8) shall be substituted by the following :

"In case of exports through Foreign Post Office, the value of the jewellery ptrcels shall not exceed US $ 50,000 and 20 kg by weight".

(3) This issues in public interest.

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994